राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांक 25 SEP 2013

–: आदेश :–

श्री राकेश यादव, उपनिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, सी.आई.डी. आसूचना जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 357/2013 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.12.2034 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या ई–18, गांधीनगर, जयपुर का (रिक्त होने की प्रत्याशा) में नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवास के **रिक्त होने की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेन से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ.130052282 दिनांक 23.9.2013
4. पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं अन्वेषण, सी.आई.डी.(सी.बी) राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सम्बन्धित अधिकारी।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव को उनकी आईडी सख्या 8123 / सीएस / I / 13 दिनांक 23.9.2013 के कम में।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

25/9/13

(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव